न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
80 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	26.08.2021	16.10.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन निवासी ग्रा. पो. अलियारी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक। पिनकोड–304505

2–मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक।

3– श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी खारी बावडी के पास, टोरडी सागर तह. मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट भैरूजी के पीछे मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502

4–मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट भैरूजी के पीछे मालपुरा जिला टोंक राज.।

5–श्री अक्षय कुमार जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन निवासी रोपा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा प्रोपरायटर मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट पालडी तह. सुवाना जिला भीलवाडा राज.। पिनकोड–311011

6–मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट पालडी तह. सुवाना जिला भीलवाडा।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री सिद्धार्थ जैन स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2020 को समय 02:15 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ दुकान के गोदाम में कागज के एक कार्टून में लगभग 40 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक बोतल 500–500 एम.एल. पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एस 09 एवं पैकिंग की दिनांक पी.2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम. एल. के 4 मूल पैक बोतल खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक बोतल के एक–एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2625 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2625 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट भैरूजी के पीछे मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स से सम्पर्क किए जाने पर

प्रोतोरक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट पालडी तह. सुवाना जिला भीलवाडा का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/3929 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1407/एक्ट/2020/260 दिनांक 27.10.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी श्री सिद्धार्थ जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर मात्र कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ अन्य सभी मानकों को पूरा करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज.